श्री कुमार प्रशान्त आई.ए.एस. जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा दिनांक 02–12–2016 को कलेक्ट्रेट, चन्दौली के नजारत अनुभाग की कृत निरीक्षण टिप्पणी :–

दिनांक 02–12–2016 को मेरे द्वारा कलेक्ट्रेट चन्दौली नजारत अनुभाग के कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री बी0बी0 पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) चन्दौली, जे0एल0 सरोज, डिप्टी कलेक्टर, चन्दौली दिप्तीदेय यादव, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट–चन्दौली, इम्तियाज अहमद, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट चन्दौली व पटल सहायक उपस्थित रहे।

नजारत अनुभाग में श्री श्रवण कुमार, नाजिर के पद पर दिनांक 17 सितम्बर, 2007 से कार्यरत है। इसके अतिरिक्त नायब नाजिर का कोई पद स्वीकृत नहीं है। नजारत अनुभाग में कुल 07 चतुर्थ श्रेणी के पद स्वीकृत है, के सापेक्ष 07 कर्मचारी कार्यरत है।

<u>लेखा पंजिका</u>

रजिस्टर नं0 1– यह पंजिका समेकित स्थायी अग्रिम लेखा के प्रयोग हेतु बनाया जाता है, जो नहीं बनाया गया है।

रजिस्टर नं0 2– यह पंजिका न्यायालय द्वारा आदेशित सम्पत्ति के विक्रय का लेखा होता है, जो नहीं बनाया गया है।

रजिस्टर नं0 3– यह पंजिका राजस्व तथा दण्डित मामलों में कैदियों के तथा साक्षियों के आहार के प्रभार का लेखा है, जो नहीं बनाया गया है।

रजिस्टर नं0 4– यह पंजिका प्रक्रीर्ण प्राप्तियों तथा अदायगी का लेखा है। नाजिर द्वारा यह पंजिका 212 पन्ने का बनाया गया है, जो प्रमाणित है, परन्तु इस पंजिका में निर्धारित पेशानी नहीं लगाई गयी है। इस रजिस्टर के अवलोकन से यह तथ्य संज्ञान में आया कि आलोच्य वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में इस पंजिका में (आठ आईटम) पुराना अंकित है 20,15,642/– रूपये अवशेष थे। रजिस्टर के क्रमांक 2/3/3/1 पर दिनांक 23–10–1998 को 12,171/– रूपये, क्रमांक 6/91/17/3/2 पर दिनांक 05–09–2002 को अंकित धनराशि 10,000/– रूपये न्याय सहायक कलेक्ट्रेट–चन्दौली द्वारा जमा किया गया है, जो अभी भी लम्बित है। क्रमांक 18/9/3/7/6/3 पर दिनांक 29–04–2006 से राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को आन साईड कम्प्यूटर प्रशिक्षण किये जाने हेतु एल0आर0सी0 द्वारा मु0 17,400/– जमा किया गया है। क्रमां 19/15/16/14/4 पर दिनांक 17–02–2010 को भूमि पुनर्ग्रहण हेतु हेतु संचित ग्रामसभा फण्ड हेतु मु0 1,70,000/– रूपये जमा किया गया है। क्रमांक 23/17/15/5 पर दिनांक 11–05–2010 को कम्प्यूटर प्रशिक्षण का मु0 3,846/– जमा किया गया है। क्रमांक 21/17/16/6 पर 07–04–2014 को लेखापालों के परीक्षा हेतु मु0 35,825/– रू0 जमा है इसी प्रकार क्रमांक 10/7 पर दिनांक 21–06–2015 को मु0 47,856/– रूपये एवं क्रमांक 11/08 पर दिनांक 15–07–2015 से 17,18,544/– रूपये दैवी आपदा मद का जमा किया गया है। उक्त सभी धनराशि रजिस्टर में लाल स्याही से अंकित है तथा आलोच्य वित्तीय वर्ष के पूर्व की है। इस रजिस्टर में आय–व्यय के पश्चात निरीक्षण की तिथि को 38,59,695/– रूपये अभी अवशेष है। नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्टर में निर्धारित पेशानी लगाये उक्त धनराशि का निस्तारण सम्बन्धित को पत्राचार एवं समन्वय स्थापित करके कराना सुनिश्चित करें तथा एक पक्ष में अवगत करायें।

रजिस्टर नं0 5– यह पंजिका सरकारी प्राप्तियों के रूप में कोषागार में निक्षेप के लिए नाजिर द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि का लेखा होता है, जो नहीं बनाया गया।

रजिस्टर नं0 6– यह पंजिका सर्विस पोस्टेज स्टैम्प की धनराशि का लेखा–जोखा का होता है। इस रजिस्टर का पत्राचार करने हेतु सर्विस पोस्टेज स्टैम्प रख–रखाव किया जाता है। यह रजिस्टर 213 पन्ने का बनाया गया है। वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक 01–04–2016 को 906 रूपये का सर्विस पोस्टेज स्टैम्प अवशेष था। आज दिनांक 02–12–2016 को निरीक्षण के समय तक 21,581/– रूपये का स्टाम्प अंकित होना पाया गया।

क्रमशः 2

रजिस्टर नं0 7– यह रजिस्टर नाजिर के लेखा का दैनिक संक्षेप का रिजस्टर होता है, जो नहीं बनाया गया है।

रजिस्टर नं0 7– यह पंजिका निजी अभिदान का लेखा होता है, जो नहीं बनाया गया।

डेड स्टाक रजिस्टर–डेड स्टाक रजिस्टर अद्यावधिक/सत्यापित नहीं है। नाजिर को निर्देशित किया गया की प्राप्त समस्त उपस्करों को डेड स्टाक रजिस्टर में अंकित कर प्रभारी अधिकारी (नजारत) से उसका सत्यापन तत्काल करायें।

सेवा पुस्तिका :– चतुर्थ श्रेणी कम्रचारियों में श्री रामदुलार सिंह, श्यामसुन्दर, कृष्ण बहादुर सिंह श्रीमती प्रमीला देवी आदि के सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया गया। सेवा पुस्तिका में वार्षिक प्रविष्टि अद्यतन है, परन्तु सेवा सत्यापन दिनांक 01–07–2015 के उपरान्त सत्यापित नहीं है, जबकि आलोच्य वित्तीय वर्ष के माह जुलाई में समस्त कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की गयी होगी। अवकाश लेखा भी अद्यतन नहीं है। निर्देशित किया गया कि इसे तत्काल अद्यतन करें।

भविष्य निर्वाह निधि पासबुक– भविष्य निर्वाह निधि पासबुक के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि माह जून, 2016 तक चतुर्थ रेझाी कर्मचारियों का पासबुक अद्यतन है। माह जून 2016 के पश्चात पासबुक को अद्यतन करने हेतु निर्देशित किया गया कि आलोचय माह तक इसे अद्यतन करें।

लेजर – सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से सम्बन्धित लेजर की मांग किया तो नाजिर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि नाजिर द्वारा लेजर तैयार नहीं किया गया है, निर्देशित किया गया कि तत्काल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से सम्बन्धित लेजर तैयार किया जाय।

आडिट – नाजिर द्वारा बताया गया कि तहसील स्तर के नायब नाजिर के यहाँ लगभग 20–25 आयटम लम्बित है, जिलास, जिसे जिला नजारत में संयुक्त करके दर्शाया जा रहा है। निर्देशित किया गया सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को पत्राचार कर आडिट आपत्तियों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें।

(कुमार प्रशान्त)
जिलाधिकारी,
चन्दौली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

संख्या : 369 /एस0–कैम्प/2016 दिनांक :: 6 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर सूचनार्थ।
2 अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) चन्दौली आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी (नजारत) कलेक्ट्रेट–चन्दौली अनुपालन कराये।
4. नाजिर कलेक्ट्रेट–चन्दौली को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
चन्दौली।